भारत सरकार

संचार मंत्रालय

दूरसंचार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1671

उत्तर देने की तारीख 13 दिसम्बर, 2023

5जी सेवाओं की पहुंच

1671. श्री पी.पी. चौधरी:

श्री गजेन्द्र उमराव सिंह पटेल:

डॉ. रमापति राम त्रिपाठी:

श्री सी.आर. पाटिलः

श्री अनुराग शर्मा:

श्री संगम लाल गुप्ताः

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश के सुदूर कोने तक भी 5जी सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए नए कार्यक्रमों अथवा प्रौद्योगिकियों को अपनाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सामान्य सेवा केन्द्रों में 5जी सेवाएं संस्थापित करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में विशेषकर राजस्थान के पाली, उत्तर प्रदेश के देवरिया, झांसी और प्रतापगढ़, गुजरात के नवसारी और मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में 5जी क्षमता में उन्नयन के लिए लगाए गए टावरों की संख्या के आंकड़े का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संचार राज्य मंत्री

(श्री देवुसिंह चौहान)

(क) से (ग) सरकार ने 5जी नेटवर्कों को तेजी से शुरू करने और देश के सभी भागों में 5जी सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं जिनमें से प्रमुख इस प्रकार हैं:

(i) विभिन्न वित्तीय सुधार किए गए जिसके परिणामस्वरूप समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) सुव्यवस्थित हुआ है।

(ii) खुली और पारदर्शी नीलामी के माध्यम से मोबाइल सेवाओं के लिए पर्याप्त स्पेक्ट्रम का आवंटन किया गया है।

(iii) कुशल उपयोग को बढ़ावा देने के लिए स्पेक्ट्रम को साझा करने, ट्रेडिंग करने, पट्टे पर देने और वापस करने की अनुमति दी गई है।

(iv) एसएसीएफए (रेडियो फ्रीक्वेंसी आवंटन संबंधी स्थायी सलाहकार समिति) की मंजूरी के लिए प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है। इस सरलीकृत प्रक्रिया के कार्यान्वयन के बाद से एसएसीएफए से मंजूरी लेने के लिए औसतन लगने वाला प्रसंस्करण का समय काफी कम होकर अब केवल 5 दिन रह गया है।

(v) भारतीय तार अधिनियम, 1885 के अंतर्गत मार्ग के अधिकार (आरओडब्ल्यू) नियम, 2016 को अधिसूचित किया गया है। इसके अनुसरण में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपनी आरओडब्ल्यू नीतियों को अधिसूचित कर दिया है। इसके परिणामस्वरूप आरओडब्ल्यू अनुमतियाँ सुव्यवस्थित हो गई हैं और दूरसंचार अवसंरचना की स्थापना के लिए शीघ्र मंजूरी मिल जाती है।

(vi) भारतीय तार मार्ग के अधिकार (संशोधन) नियम, 2022 में छोटे सेल और तार की लाइन की स्थापना के लिए स्ट्रीट फर्नीचर के उपयोग के लिए आवेदन की प्रक्रिया और समयबद्ध अनुमति विनिर्दिष्ट की गई है।

(vii) आरओडब्ल्यू अनुमतियों में तेजी लाने के लिए पीएम गतिशक्ति संचार पोर्टल शुरू किया गया है।

तदनुसार दिनांक 01-10-2022 को 5जी सेवाओं की शुरुआत के बाद से 14 महीनों की छोटी-सी अवधि में देश भर के 738 जिलों में 5जी नेटवर्क को शुरू कर दिया गया है और कुल 3,97,923 बेस स्टेशन स्थापित किए गए हैं। यह दुनिया में 5जी नेटवर्क के होने वाले सबसे तेज रॉल-आउट में से एक है। देश में लगभग 100 मिलियन मोबाइल उपभोक्ताओं ने 5जी सेवाओं का उपयोग करना शुरू कर दिया है। इन आंकड़ों के साथ भारत अब दुनिया के अग्रणी 5जी इकोसिस्टम में से एक है और सामान्य सेवा केंद्रों सहित सभी उपयोगकर्ता 5जी की उच्च गति से लाभान्वित होंगे।

5जी बेस स्टेशनों की स्थापना से संबंधित विवरण दूरसंचार विभाग (डीओटी) की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

*****